Ag [illegible] uploaded

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–DoH/SS/16/2025–बि०बि०ज्ञा०–73– /कृ०, पटना, दिनांक 26/06/2025
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षों के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु 126.90 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 76.14 लाख (छिहत्तर लाख चौदह हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षों के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु 126.90 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 76.14 लाख (छिहत्तर लाख चौदह हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का सूत्रण ड्रैगन फ्रूट के विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रैगन फ्रूट के बाग का रकबा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के आमदनी में वृद्धि करना है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमूई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा एवं सीवान में किया जायेगा। योजना संबंधित विस्तृत विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ड्रैगन फ्रूट के पौध रोपण सामग्री हेतु ई–टेंडर प्रकाशन कर एजेंसी/आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।

5. MIDH (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) की मार्गदर्शिका के अनुसार ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु 2.0 X 2.0 मीटर पोल से पोल की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 5000 पौधा लगाने हेतु इकाई लागत 6.75 लाख (छः लाख पचहत्तर हजार) रूपये निर्धारित है। उक्त इकाई लागत 6.75 लाख (छः लाख पचहत्तर हजार) रूपये पर 40% अनुदान अर्थात 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जायेगा।

6. प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 1.62 लाख (एक लाख बासठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय किस्त में अनुदान का शेष 40% अर्थात् 1.08 लाख (एक लाख आठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि प्रति हेक्टेयर 5000 पौधों की दर से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन में सही पाए गए पौधों की संख्या के आधार पर आपूर्तिकर्ता /चयनित किसानों को सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा दिया जायेगा।

8. ड्रैगन फ्रूट की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

9. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

10. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा http://horticulture.bihar.gov.in "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध " ड्रैगन फ्रूट विकास योजना" "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

11. इस योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। इस योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–2 के आलोक में राज्य के संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

12. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

13. स्वीकृत राशि के आलोक में लाभुकों का चयन सामान्य क्षेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

14. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC- 25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

15. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

17. योजना के सर्वोच्च्य नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

18. इस योजनान्तर्गत कुल 1880 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

19. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.491	59.79807
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.000	15.22800
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.509	1.11393
कुल योग	**24300.000**	**76.14000**

उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात् ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

20. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–19.06.2025 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/16/2025 के पृ0सं0–20/टि0 पर दिनांक–25.06.2025 को प्राप्त है।

21. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– DoH/SS/16/2025 के पृष्ठ संख्या–22/टि० दिनांक–26.06.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–485 दिनांक–26.06.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/16/2025– पी०पी०एम०-73- /कृ०, पटना, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/16/2025– पी०पी०एम०-73- /कृ०, पटना, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/16/2025– पी०पी०एम०-73- /कृ०, पटना, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/16/2025– पी०पी०एम०-73- /कृ०, पटना, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/16/2025– पी०पी०एम०-73- /कृ०, पटना, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशंक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Sanction Order (Dragon Fruit) (76.14000).doc

ज्ञापांक– DoH/SS/16/2025–प्रे०प्रे०एम०–73– /कृ०, पटना, दिनांक: 26/06/2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Sanction Order (Dragon Fruit) (76.14000).doc

अनूसुची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 कुल दो वर्षो के लिए राज्य स्कीम मद से ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का कार्य योजना।

(राशि लाख रूपये में)

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>अव्यवय</th><th>इकाई लागत/हे०</th><th>अनुदान का प्रतिशत</th><th>अनुदान की राशि/हे०</th><th>वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय अनुदान की राशि</th><th>वित्तीय वर्ष 2026–27 में देय अनुदान की राशि</th><th>भौतिक लक्ष्य (हे०)</th><th>वित्तीय लक्ष्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>1</td><td>वित्तीय वर्ष 2025–26 में ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार</td><td rowspan="2">6.75</td><td rowspan="2">40%</td><td rowspan="2">2.70</td><td>अनुदान की राशि का 60% (1.62)</td><td>-</td><td>47</td><td>76.14</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 2025–26 में लगाए गए ड्रैगन फ्रूट का 1st Year Maintenance</td><td>-</td><td>अनुदान की राशि का 40% (1.08)</td><td>47</td><td>50.76</td></tr>
<tr><td colspan="8">कुल :–</td><td>126.90</td></tr>
</table>

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

(राकेश कुमार)

अनूसुची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 कुल दो वर्षों के लिए राज्य स्कीम मद से ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			वित्तीय वर्ष 2025–26 का वित्तीय लक्ष्य (@1.62 लाख / हे०)	वित्तीय वर्ष 2026–27 का वित्तीय लक्ष्य (@.1.08 लाख / हे०)	कुल वित्तीय लक्ष्य (4+5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	1	1.62	1.08	2.70
2	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	4	6.48	4.32	10.80
3	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	2	3.24	2.16	5.40
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	5	8.10	5.40	13.50
5	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	2	3.24	2.16	5.40
6	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	1	1.62	1.08	2.70
7	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	1	1.62	1.08	2.70
8	सहायक निदेशक उद्यान, गया	2	3.24	2.16	5.40
9	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	1	1.62	1.08	2.70
10	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	1	1.62	1.08	2.70
11	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	3	4.86	3.24	8.10
12	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	5	8.10	5.40	13.50
13	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	1	1.62	1.08	2.70
14	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	1	1.62	1.08	2.70
15	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	1	1.62	1.08	2.70
16	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफफरपुर	1	1.62	1.08	2.70
17	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	1	1.62	1.08	2.70
18	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	5	8.10	5.40	13.50
19	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	1	1.62	1.08	2.70
20	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	3	4.86	3.24	8.10
21	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	1	1.62	1.08	2.70
22	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	2	3.24	2.16	5.40
23	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	2	3.24	2.16	5.40
कुल		**47**	**76.14**	**50.76**	**126.90**

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्कीम मद से ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वित्तीय लक्ष्य			
		सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
2	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	5.08919	1.29600	0.09481	6.48000
3	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	2.54460	0.64800	0.04740	3.24000
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	6.36150	1.62000	0.11850	8.10000
5	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	2.54460	0.64800	0.04740	3.24000
6	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
7	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
8	सहायक निदेशक उद्यान, गया	2.54460	0.64800	0.04740	3.24000
9	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
10	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
11	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	3.81689	0.97200	0.07111	4.86000
12	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	6.36150	1.62000	0.11850	8.10000
13	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
14	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
15	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
16	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफफरपुर	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
17	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
18	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	6.36150	1.62000	0.11850	8.10000
19	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
20	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	3.81689	0.97200	0.07111	4.86000
21	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	1.27230	0.32400	0.02370	1.62000
22	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	2.54460	0.64800	0.04740	3.24000
23	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	2.54460	0.64800	0.04740	3.24000
कुल		**59.79807**	**15.22800**	**1.11393**	**76.14000**

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।